संख्या-47/2018/2249 ई-2/तेरह-2018-99/2011

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 19 जून,2018

विषय:-श्री तपेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह, निवासी ग्राम बगराई, तहसील खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर द्वारा संचालित होटल मे0 रायल मोटल एण्ड रिट्रीट, पता भूमि नम्बर 46 व 43/1,शिकारपुर रोड खुर्जा बाईपास के पास ग्राम बगराई, जिला बुलन्दशहर हेतु एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-22/8/आबकारी/बार अनुज्ञापन, दिनांक 22 मई,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 17-5-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-50/दस-लाइसेंस-62/एफ0एल0-6,7/बारअनु0/बुलन्द शहर, दिनांक 10 जून,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री तपेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह, निवासी ग्राम बगराई, तहसील खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर द्वारा संचालित होटल मे0 रायल मोटल एण्ड रिट्रीट, पता भूमि नम्बर-46 व 43/1, शिकारपुर रोड, खुर्जा बाईपास के पास ग्राम बगराई, जिला बुलन्दशहर को वर्ष 2018-19 हेतु एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि उक्त रेस्टोरेन्ट में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किये जाएं।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-47/2018/2249 (1) ई-2/तेरह-2018, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-50/दस-लाइसेंस-62/एफ0एल0-6,7/बारअनु0/बुलन्दशहर, दिनांक 10 जून,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।